:11-16 उभयप
द्वा

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 49/2013

श्री बंटी पुत्र श्री मोती जाति भांबी निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

............अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री विनीत कोठारी पुत्र श्री स्वरूपचंद कोठारी निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

..........रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।
3. श्री शिशिर विजयवर्गीय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 09.12.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री बंटी पुत्र श्री मोती जाति भांबी निवासी ग्राम जेठाना तहसील पीसांगन जिला अजमेर ने ग्राम जेठाना के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1767/5936 कुल रकबा 0.68 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ा बना कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 337/2012 पंजीबद्व कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 18.12.2012 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही निर्माण को विध्वंस करने के आदेश भी दिये जावे। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 18.12.2012 से अंसतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के विचाराधीन रहते श्री विनीत कोठारी पुत्र श्री स्वरूपनंद कोठारी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 प्रस्तुत कर अपील में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। बाद सुनवाई के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बनाये जाने के आदेश दिये गये, तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील बाद मियाद पेश की गई है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में एक ही दिन में समस्त पक्षकारों को जानकारी होना अंकित किया गया है जो विश्वसनीय नहीं है। वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने कथन किया

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कि जहां तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने का प्रश्न है, विलम्ब के संबंध में प्रार्थी को दिन प्रतिदिन के विलम्ब का उचित व संतोषप्रद ढंग से स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2007 (2) पेज 939 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत व आर.आर.टी. 2015(1) पेज 232 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के कारण मियाद प्रार्थना पत्र निरस्त करने के साथ ही अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे। वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने हमारा ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेश की जानकारी उन्हें पटवारी हल्का से दिनांक 24.10.2013 को हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो नियमानुसार नोटिस तामील करवाया तथा न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। ऐसा आदेश शून्य है तथा प्रभाव शून्य आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है तथा मियाद का प्रशन आड़े नहीं आता है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2002(1) पेज 257 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद मानकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील अपीलान्ट गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त भूमि पर पिछले 50–60 वर्षों से अनेक ग्रामवासियों के पक्के मकान व बाड़े बने हुए है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी धारा 91 के तहत कार्यवाही नहीं की गई किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की शिकायत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व उक्त कार्यवाही की गई है। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि विवादित खसरा नम्बर 1767/5936 का रकबा काफी बड़ा है तथा ग्रामवासियों के आवागमन हेतु लगभग 40 फीट का रास्ता है। अपीलान्ट के मकान से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है केवल दुर्भावनावश अपीलान्ट के विरूद्व आक्षेपीय कार्यवाही की गई है। मौके पर लगभग 40–50 मकान व बाड़े बने हुए है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल 10 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर धर्मा खेड़ा मौहल्ला है जिसमें अनेक ग्रामवासियों के पक्के मकानों के साथ ही वर्षों से आबादी बसी हुई है, मन्दिर बने हुए है तथा राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक भवन भी बनवाया गया है। जिसमें तत्समय पटवारी हल्का ने भी उक्त भूमि को सार्वजानिक स्थल ग्राम जेठाना मौहल्ला धर्माखेड़ा दर्शित कर नजरी नक्शा व रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्राम पंचायत जेठाना द्वारा भी दिनांक 05.08.2015 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर आम रास्ते को आबादी में परिवर्तित किये जाने की सहमति प्रदान की है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि पर बरसों से दोनो तरफ आबादी बसी हुई है तथा बाड़े बने हुए है। मकानों में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

बिजली व नल कनेक्शन है इसके अतिरिक्त मौके पर रास्ता आवागमन हेतु चालू है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि गरीब ग्रामवासियों के मकानों को तोड़कर बेदखल करने की बजाय आबादी उपयोग हेतु रास्ते का सीमांकन कर शेष निर्मित भूमि को आबादी उपयोग हेतु नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त यदि अधिनस्थ न्यायालय को इस संबंध में अधिकार नहीं हो तो प्रकरण जिला कलक्टर अथवा राज्य सरकार को भिजवाया जाना चाहिये था। लोक कल्याणकारी राज्य सरकारों की मंशा कतई यह नहीं रही कि पुराने बसे हुए लोगों को उजाड़ा जावे बल्कि राज्य सरकार ने समय–समय पर गैर मुमकिन भूमियों के नियमन हेतु परिपत्र जारी किये है जिनके परिपेक्ष्य में विवादित भूमि की किस्म बदल कर आबादी प्रयोजनार्थ परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण माना जावे तो शिकायतकर्ता द्वारा भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उसे भी हटाया जावे। इसके साथ ही सामुदायिक भवन व मंदिरों को भी हटवा कर अतिक्रमण मुक्त किया जावे। वकील अपीलान्ट ने अन्त में कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपील तहसीलदार पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि वे विवादित भूमि का पुनः मौका निरीक्षण कर आबादी उपयोग हेतु भूमि का सीमांकन कर शेष भूमि को आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाने की कार्यवाही करें।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम जेठाना स्थित सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्की चारदीवारी व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के कारण सार्वजानिक रास्ता सकड़ा हो गया है तथा ग्रामवासियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें नियमानुसार नोटिस तामील नहीं करवाया तथा न ही साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया गया। वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिसका नियमन/आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। आम रास्ते की भूमि का नियमन कभी भी नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने न्यायालय का ध्यान आर.आर.टी. 2008(2) पेज 1412 व आर.आर.टी. 2005(1) पेज 221 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपिस्थत नहीं हुआ है। उनके द्वारा लगातार तथ्य छिपाया गया है कि विवादित भूमि की नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है जबकि ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। जब प्रार्थी स्वच्छ हाथों को लेकर न्यायालय नहीं आता है तो भले ही गुणावगुण पर उसका मामला उचित हो, उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.एल.डब्ल्यू. 1999(2) पेज 1358 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अतिक्रमी किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सव्यय निरस्त की जावे।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर पक्की चारदीवारी व बाड़ा बना कर अतिक्रमण किया गया है, इस तथ्य को स्वयं अपीलान्ट ने स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, जो ग्रामवासियों के आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्ते की भूमि है। हम वकील रेस्पोन्डेन्ट के इन कथनों से सहमत है कि अतिक्रमण के कारण आम रास्ता सकड़ा हो गया है तथा ग्रामवासियान के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता होने के कारण किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि विवादित भूमि पर उनका पिछले 50–60 वर्षों से कब्जा है तथा पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य प्रकरण है। अपील के माध्यम से अपीलान्ट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। विवादित भूमि के नियमन/ आवंटन व आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु वे पृथक से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.12.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner